

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

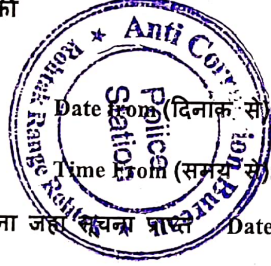
1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB ROHTAK Year (वर्ष): 2023
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
01/03/2023 18:16 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	198
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	466
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	470
6	IPC 1860	471

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन):

Time Period (समय अवधि):



Date From (दिनांक से):

Date To (दिनांक तक):

Time From (समय से):

Time To (समय तक):

- (b) Information received at P.S. (थाना) जहाँ सूचना प्राप्त हुई: Date (दिनांक): 01/03/2023 Time (समय): 17:50 hrs

- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 012 Date and Time (दिनांक और समय): 01/03/2023 17:55 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Insp SURESH KUMAR

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 02/11/1968

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e)

UID Number (पहचान सं.):

(f)

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS ACB ROHTAK, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS ACB ROHTAK, ROHTAK, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8930500607

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	जयबीर सिंह निवासी तहसीलदार भिवानी		Father's Name: धर्मबीर सिंह	1. गांव भैणी चन्द्रपाल, तहसील महम जिला रोहतक ROHTAK, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, जांच क्रमांक 04 दिनांक 14.05.2019 रोहतक अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 13/03/2018-2 चौकसी-I दिनांक चण्डीगढ़ 03.05.2019 व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला के पृ0 क्रमांक 7956/आई-5/रा0 चौकसी (ह0) दिनांक 15.05.2019 के अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक के डायरी क्रमांक 1037 दिनांक 20.05.2019 के

अनुसार पडताल हेतु प्राप्त हुई थी। जिसमें आरोप की पडताल की जानी थी कि प्रतिवादी जयबीर सिंह फर्जी जन्म/शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर पहले वर्ष 2012 में ग्राम सचिव के पद पर खण्ड जुलाना जिला जीन्द में नियुक्त हुआ। इसके पश्चात चुनाव विभाग, हरियाणा में तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुआ है। जांच से पाया गया कि जयबीर सिंह की विज्ञापन संख्या 05/2008, कटैगरी संख्या 07 के अन्तर्गत वर्ष 2012 में हरियाणा स्टाफ सलैक्शन कमीशन द्वारा चयन उपरांत ग्राम सचिव के पद पर माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से की गई दसवीं व बारहवीं कक्षा के आधार पर नियुक्ति होनी पाई गई। जिसमें दसवीं की कक्षा में जयबीर सिंह की जन्म तिथि 25.08.1990 दर्शायी गई है। प्रतिवादी जयबीर सिंह ने दिनांक 29.06.2012 को खण्ड विकास एवम पंचायत अधिकारी, जुलाना के कार्यालय में बतौर ग्राम सचिव अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी थी और दिनांक 17.06.2014 को उसने ग्रामसचिव के पद से त्याग पत्र दिया था। इसी दौरान प्रतिवादी जयबीर सिंह ने वर्ष 2013 में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन में निर्वाचन तहसीलदार के पद हेतु आवेदन किया गया जिसमें हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से की गई दसवीं व बारहवीं कक्षा तथा सी.एम.जे. विश्वविधालय, शिलांग, मेघालय से बी.ए. की डिग्री के आधार पर वर्ष 2014 में उसकी नियुक्ति होनी पायी गई। इस आवेदन में दसवीं कक्षा में जयबीर सिंह की जन्म तिथि 25.08.1982 दर्शायी गई है। जयबीर सिंह के द्वारा हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से की गई दसवीं व बारहवीं कक्षाओं के प्रमाणपत्रों की तस्दीक हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से करवायी गई। जिसमें सचिव हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 745 व 746 दिनांक 27.05.2019 अनुसार परीक्षार्थी को दसवीं कक्षा का अनुलिपि प्रमाण-पत्र क्रमांक 17038/डुप/2014 व परीक्षार्थी को बारहवीं कक्षा का अनुलिपि प्रमाण-पत्र क्रमांक 35031/डुप/2014 के तहत जारी किया गया है। इसके पश्चात कार्यालय अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद से की गई दसवीं व बारहवीं कक्षा की मार्कशीट की वैरिफिकेशन करवायी गई। जो उन्होंने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक मा0शि0प0 /क्षे0का0इ0 /हाईस्कूल /इण्टर /अभिलेख/सत्यापन/11894 दिनांक 21.09.2021 के अनुसार हाईस्कूल वर्ष 2005 अनुक्रमांक 1979935 नाम जयबीर सिंह अपने कार्यालय प्रयागराज के क्षेत्रान्तर्गत अनुदानित नहीं होना दर्शाया है तथा इण्टर वर्ष 2007 अनुक्रमांक 922294 नाम जयबीर सिंह का सम्पूर्ण विवरण परिषद कार्यालय के अभिलेखानुसार भिन्न होना दर्शाया है। खण्ड विकास एवम पंचायत अधिकारी, जुलाना जिला जीन्द से प्राप्त रिकार्ड अनुसार जयबीर सिंह ग्राम सचिव की सैलरी वर्ष 2012 के दौरान खाता संख्या 55143378061 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ब्रान्च जुलाना जिला जीन्द (जो अब यह बैंक 01.04.2017 से स्टेट बैंक आफ इंडिया में सम्मिलित हो चुका है) में दी जाती थी तथा नगराधीश भिवानी से प्राप्त रिकार्ड अनुसार जयबीर चुनाव तहसीलदार की सैलरी वर्ष 2014 से अब तक खाता संख्या 33960601969 स्टेट बैंक आफ इंडिया, ब्रान्च महम में दी जा रही है। स्टेट बैंक आफ इंडिया से दोनो खाता नम्बरो बारे जो रिकार्ड प्राप्त हुआ है उनसे यह स्पष्ट है कि दोनो खातों का खाता धारक जयबीर सिंह पुत्र धर्मबीर सिंह निवासी गाँव भैणी चन्द्रपाल, महम, रोहतक है, दोनो खातों में खाता धारक का फोटो एक ही व्यक्ति का है तथा दोनो खातों में खाता धारक (जयबीर सिंह) का एक ही मोबाईल नम्बर 9812000643 है। जांच के दौरान मोबाईल नम्बर 9812000643 के कैफ आई.डी संबंधित दस्तावेज नोडल अधिकारी आईडिया कम्पनी से प्राप्त रिकार्ड में यह मोबाईल नम्बर जयबीर सिंह पुत्र धर्मबीर सिंह निवासी गाँव भैणी चन्द्रपाल, महम, रोहतक का होना पाया गया। अतः जांच के दौरान उपरोक्त प्राप्त रिकार्ड/दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2012 से 2014 के दौरान ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत रहा जयबीर तथा वर्ष 2014 से अब तक चुनाव तहसीलदार के पद पर कार्यरत जयबीर एक ही व्यक्ति है। अतः जांच से स्पष्ट है कि आरोपी जयबीर सिंह का माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से जारी कक्षा दसवीं व बारहवीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर विज्ञापन संख्या 05/2008, कटैगरी संख्या 07 के अन्तर्गत वर्ष 2012 में हरियाणा स्टाफ सलैक्शन कमीशन द्वारा ग्राम सचिव के पद पर चयन किया गया तथा उक्त द्वारा दिनांक 29.06.2012 को कार्यालय खण्ड विकास एवम पंचायत अधिकारी, जुलाना में ग्राम सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया था। जांच/वैरिफिकेशन के दौरान आरोपी जयबीर सिंह ने ग्राम सचिव के पद पर नौकरी प्राप्त करने हेतु प्रयोग किये गये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से जारी कक्षा दसवीं व बारहवीं के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं व ग्राम सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए भरे गये आवेदन फार्म व दसवीं कक्षा की मार्कशीट में जन्म तिथि 25.08.1990 भी गलत पायी गई। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में आरोपी जयबीर सिंह पुत्र धर्मबीर सिंह निवासी गाँव भैणी चन्द्रपाल, तहसील महम जिला रोहतक वर्तमान समय में निर्वाचन तहसीलदार, भिवानी के विरुद्ध धाराधीन 198,420,466,468,470 व 471 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किए जाने की सिफारिश सहित रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 16587/रा.चौ. ब्यूरो, (ह0) पंचकूला दिनांक

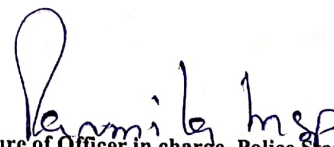
18.10.2022 अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग भेजी गई थी। जो मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 13/03/2018-2 चौकसी-1 दिनांक 10.11.2022 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठांकन क्रमांक 18528/आई-5/रा.चौ.ब्यूरो(ह0) दिनांक 24.11.2022 अनुसार प्रतिवादी जयबीर सिंह पुत्र धर्मबीर सिंह निवासी गांव भैणी चन्द्रपाल, तहसील महम जिला रोहतक वर्तमान समय में निर्वाचन तहसीलदार, भिवानी के विरुद्ध धारा 471 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये जाने के आदेश प्राप्त हो चुके हैं क्योंकि जयबीर सिंह उपरोक्त ने जानबूझ कर छल करके ग्राम सचिव की नौकरी प्राप्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) के दसवीं व बाहरवी कक्षा के फर्जी प्रमाण पत्रों में गलत जन्म तिथि दिखाकर फर्जी प्रमाण पत्रों को प्रयोग किया है। अभियोग पंजीकृत करके अफसरानबाला को बजरिया टेलीफोन, ई-मेल द्वारा सूचित किया जाये व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाये। अभियोग में आगामी अनुसंधान अमल में लाया जाएगा व तफतीश के दौरान अन्य किसी का दोष पाया जाये तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाये। हस्ता अंग्रेजी Suresh Kumar निरीक्षक सुरेश कुमार, नं0 293/RR थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक। अज्ञात थाना:- हस्त आमद तहरीर के थाना में प्राप्त होने पर मु0न0 05 दिनांक 01.03.2023 जर्नल धारा 198,420,466,468,470,471 भारतीय दण्ड संहिता थाना एंटी करप्शन ब्यूरो, रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर अफसरानबाला को बजरिया मेल द्वारा सूचना दी गई। नकल मिशाल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात/फाइले SP साहब द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी नि0 रामनिवास के हवाले की जाएगी व ई/मुख्य सिपाही सुब्रह्मण्यम् नं0 1637/झज्जर के हवाले स्पेशल रिपोर्ट की जाकर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहब रोहतक को देने के लिये मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से महिला निरीक्षक प्रमीला देवी एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):
/ or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): RAM Rank (पद): I (Inspector)
NIWAS
No. (सं.): 341JJR to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)


Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम):

Rank (पद):

No. (सं.):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1983				
						Is pox pitted: Yes
Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)		Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँख)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8		9	10	11	12	13
Language/Dialect (भाषा/बोली)		Place of (का स्थान)				Others (अन्य)
		Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)
14		15	16	17	18	19
						20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)